

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 नवंबर 2019

क्रमांक एफ 20-63/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019-24" की कंडिका-15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-13 तथा परिशिष्ट-6. 13 के प्रावधानों के अनुरूप "प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान" को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2019 से "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2019" निम्नानुसार लागू करता है :-

1- परिचय :-

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके उद्योगों में उच्च तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एन.आर.डी.सी. या शासकीय अनुसंधान केंद्रों से प्रौद्योगिकी क्रय हेतु राज्य में प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना लागू की गई है। यह योजना पात्र नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में (संतृप्त श्रेणी एवं कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर) पर लागू होगी।

2- परिभाषाएं :-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं, वहीं होगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 के "परिशिष्ट-1" पर दी गयी हैं।

3- नियम -

यह नियम "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2019" कहे जावेंगे।

4- पात्रता -

4.1- औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2024 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत परिशिष्ट-4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर) को उनके द्वारा अपने उद्योग में एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केंद्रों से प्रौद्योगिकी का क्रय कर उस प्रौद्योगिकी का उद्योग/उद्यम में प्रयोग करने पर अनुदान की पात्रता होगी।

4.2- इकाइयों को प्रौद्योगिकी क्रय करने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक/अधिसूचना के जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्पूर्ति हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा।

4.3- उद्योग में प्रौद्योगिकी क्रय करने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्पूर्ति हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

- 4.4— औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय/राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/वित्तीय संस्थाओं से प्रौद्योगिकी क्रय पर अनुदान प्राप्त किया हो तो उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- 4.5— शासकीय अनुसंधान केन्द्रों, एन.आर.डी.सी. से प्रौद्योगिकी क्रय पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
- 4.6— क्रय प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल स्वयं के उद्योग में ही करना होगा तथा भविष्य में इसका हस्तांतरण नहीं किया जावेगा।
- 4.7— औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज इकाईयों को प्रौद्योगिकी क्रय करने पर निवेशकों के वर्ग तथा उद्यम की श्रेणी के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

- 4.8— औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी।
- 4.9— औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका (21) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/घोषित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

5— प्रक्रिया व अधिकार —

- 5.1— पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) के साथ विभागीय वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा / आई0ई0एम0 / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र
 - (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र।
 - (3) "उपाबंध-2" अनुसार निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र।
 - (4) प्रौद्योगिकी क्रय से संबंधित अनुबंध/ देयक तथा उनकी राशि संस्था को भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र आदि।
 - (5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - (6) उपाबंध-1 में निर्धारित प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र।
 - (7) स्वामित्व के प्रकरणों में इकाई स्वामी का तथा भिन्न प्रकरणों में इकाई के पेन कार्ड की प्रति।

5.2— अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, प्रकरण में कमियों एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांतिक बिन्दु क्र. 4.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी। ऑनलाईन आवेदन में अपलोड दस्तावेजों की मूल प्रतियों से मिलान कर सत्यापन भी निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

5.3— मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अथवा सेवा उद्यमों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण व स्थल निरीक्षण सहायक प्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा।

स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

5.4— मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई के आवेदन का निराकरण 30 दिवसों के भीतर करना सुनिश्चित किया जावेगा तथा स्वीकृति आदेश/निरस्तीकरण आदेश ऑनलाईन अपलोड किया जावेगा।

5.5— उद्योग संचालनालय द्वारा प्रौद्योगिक क्रय अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

5.6— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा।

5.7— बजट आवंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा एनईएफटी, तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

5.7— बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

5.8— प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान राशि का आवंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा।

5.9— राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी।

6— अनुदान की मात्रा —

6.1 औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय करने एवं उसकी स्थापना/प्रयोग अपने उद्योग में करने के उपरांत सामान्य वर्ग के उद्यमियों / एफपीओ को किये गये

व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय / प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी को व्यय का 55 प्रतिशत एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/राज्य के महिला स्व-सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमी को किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी ।

6.2 अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों/एफपीओ हेतु रु. 10.00 लाख, अप्रवासी भारतीय / प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी निवेशकों हेतु रु. 10.50 लाख एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/राज्य के महिला स्व-सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों हेतु रु. 11.00 लाख होगी ।

6.3 औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू-आबंटन प्राप्त करते हैं, उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी ।

6.4 यदि कोई इकाई उपरोक्तानुसार दो या अधिक श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में सामान्य वर्ग के उद्यमी की तुलना में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी ।

6.5 प्रौद्योगिकी क्रय में सम्मिलित है- प्रौद्योगिकी क्रय हेतु एन.आर.डी.सी./ भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित शासकीय अनुसंधान केन्द्रों को भुगतान की गई राशि, प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये अनुबंध व अनुबंध के पंजीयन पर किया गया शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, कंसल्टेंसी कंपनी को दिया गया शुल्क एवं प्रौद्योगिकी स्थापना हेतु किया गया व्यय व अन्य व्यय ।

7 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :-

7.1 औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

7.2 उपरोक्त 7.1 की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र० 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

8 अनुदान की वसूली :-

8.1 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के स्वीकृत/वितरण पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

8.2 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें ।

- 8.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।
- 8.4 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी।
- 8.5 उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये।
- 8.6 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।
- 8.7 यदि औद्योगिक इकाई अधिसूचना में निहित दायित्वों की पूर्ति न करें।
- 8.8 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी।
- 8.9 उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.8 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे।
- 9 अपील / वाद —
- 9.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी।
- 9.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी।
- 9.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क प्रत्येक स्तर पर रुपये 1000 (यथा लागू कर सहित) एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में प्रत्येक स्तर पर रुपये 2000 (यथा लागू कर सहित) का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।
- 9.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तिओं के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।
- 9.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

10 कार्यकारी निर्देश -

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

11 स्वप्रेरणा से निर्णय -

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/राज्य स्तरीय समिति इन नियमों के तहत आवेदित/स्वीकृत प्रकरणों के किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

12 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13- इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

14- योजना का क्रियान्वयन -

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

शपथ-पत्र

मैं आत्मज..... प्रबंध संचालक /
संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई
.....जिसका पंजीकृत
पता है व फैक्ट्री..... में स्थित है व उद्यम
आकांक्षा क्रमांकदिनांकएवं वाणिज्यिक उत्पादन
प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक है निम्नानुसार घोषणा करता हूँ -

- 1- औद्योगिक इकाई ने से प्रौद्योगिकी क्रय किया है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण/उत्पाद प्रक्रिया में किया जा रहा है ।
- 2- यह शपथपूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 तथा छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।
- 3- यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में क्रय प्रौद्योगिकी की स्थापना/प्रयोग के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।
- 4- औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है।/अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु उपरांत भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

- 5- उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस की जावेगी ।

स्थान :

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व

पता

सील

नियम 5.1 (3)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

औद्योगिक इकाई
.....जिसका पंजीकृत पता है व फैक्ट्री..... में
स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट-1 / उद्यम आकांक्षा क्रमांक
दिनांक एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक
दिनांक है, ने से प्रौद्योगिकी दिनांक.....
..... को प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक..... तक किया गया व्यय
रुपये..... (अक्षरों में)..... है, मदवार विवरण निम्नानुसार
प्रमाणित किया जाता है:-

क्र०	विवरण प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया व्यय	व्यय राशि	भुगतान राशि
1.	2.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क		
2	प्रौद्योगिकी क्रय राशि		
3	प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये अनुबंध व अनुबंध का पंजीयन शुल्क		
4	प्रशिक्षण व्यय		
5	कन्सल्टेन्सी कंपनी को दिया गया फीस		
6	प्रौद्योगिकी क्रय से संबंधित अन्य व्यय		
7	प्रौद्योगिकी स्थापना व्यय		
8	अन्य संबंधित व्यय		
	योग		

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता सील
हस्ताक्षर
पंजीयन पत्र क्रमांक

(नियम 5.3)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

“छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2019” के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2019 के नियम क्रमांक “5.3” में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

- 1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
- 2— उद्योग का स्वरूप :
- 3— औद्योगिक इकाई का संगठन— :
- 4— उद्यमी का वर्ग— :
- 5— उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता—
- 6— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
- 7— औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—
(स्थान, विकास खंड व जिला)
- 8— प्रौद्योगिकी क्रय पर किया गया अनुमोदित व्यय—
- 9— स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

- (2) यह राशि वित्तीय वर्ष— के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या—
.....

- (3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र